रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1973/अग्रहायण 26, 1895
No. 436] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 1973/AGRAHAYANA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December 1973

S.O. 784(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, hereinafter referred to as the said Rules, in the First Schedule,—

in entry 1, after item (iv) the following item shall be inserted, namely:—

"(v) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).";

3. In the Second Schedule to the said Rules, under the heading

"MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)" and sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)",

(i) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"9. Fundamental research including co-ordination thereof, and higher education in Forestry.";

(ii) entries 10 and 13 shall be omitted;

(iii) for entry 13A, the following entry shall be substituted, namely:—

"13A. Sugarcane development scheme.";

(iv) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely:—

"15. Economic Planning (Agricultural Economics and Statistics).";

(v) for entry 22, the following entry shall be substituted, namely:—

"22. Agriculture (other than agricultural education and research), protection against pests and prevention of plant diseases.";

(vi) for entry 29, the following entry shall be substituted, namely:—

"29. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and international organisations [illegible] insofar as agricultural and allied subjects are concerned, excluding all matters relating to assistance afforded by [illegible] countries in the field of agriculture and allied subjects [illegible] such matters in the field of agricultural research and education and allied subjects as are specifically assigned to the Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).";

(vii) for entry 35, the following entry shall be substituted, namely:—

"35. Soil Survey in connection with development programmes.";

(viii) after the sub-heading "D. DEPARTMENT OF CO-OPERATION (SAHKARITA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be insterted, namely:—

"E. DEPARTMESNT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG).

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:—

1. Relations with foreign and international agricultural research and educational institutions and organisations, including participation in international conferences, associations and other bodies dealing with agricultural research and education and follow-up of decisions at such international conferences, etc.

2. Fundamental, applied and operational research and higher education including coordination of such research and higher education in agriculture, animal husbandry, dairying and fisheries, including agricultural statistics, economics and marketing.

3. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions insofar as it relates to food and agriculture including animal husbandry, dairying and fisheries.

4. Cases for financing the Indian Council of Agricultural Research, and the Commodity Research programmes other than those relating to tea, coffee and rubber.

5. Sugarcane research.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):—

PART III

For Union Territories the subjects mentioned in Part I above, so far as they exist in regard to these Territories and in addition the following subject which falls within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:—

6. Agricultural Education and Research.

PART IV

General and Consequential:—

7. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and International Organisations insofar as agricultural research and education and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries in the field of Agricultural research and education and allied subjects.

8. Plant introduction and exploration.

9. All India Soil and Land Use Survey relating to research, training, co-relation, classification, soil mapping and interpretation.

10. Financial assistance to State Governments and Agricultural Universities in respect of agricultural research and educational schemes and programmes.

11. National Demonstrations.

12. Indian Council of Agricultural Research and its constituent Research Institutes, Stations, Laboratories and Centres.

13. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

14. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.

15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court."

V. V. GIRI,
President.

[No. 74/2/1/73-CF.]
S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1973

सं० आ० 784(अ).—राष्ट्रपति; संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ दोवां संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है, में, प्रथम अनुसूची में,—

प्रविष्टि 1 में, मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।" ;

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में, "कृषि मंत्रालय" शीर्षक और "क. कृषि विभाग" उप-शीर्षक के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9. मौलिक गवेषणा जिसके अन्तर्गत उसका समन्वय और वन-विज्ञान में उच्चतर शिक्षा है।" ;

(ii) विष्टि 10 और 13 का लोप कर दिया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि 13-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"13-क गन्ना विकास स्कीम।";

(iv) प्रविष्टि 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"15. आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी)।" ;

(v) प्रविष्टि 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"22. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न, मारकों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण।";

(vi) प्रविष्टि 29 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"29. जहां तक कृषि और सहबद्ध विषयों का संबंध है वहां तक विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध सब मामले, जिनके अन्तर्गत वे सभी मामले हैं जो कृषि और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में भारत द्वारा विदेशों को दी गई सहायता से सम्बद्ध हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में के ऐसे मामले नहीं हैं जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को विनिर्दिष्टतः समनुदिष्ट किए गए हैं।" ;

(vii) प्रविष्टि 35 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"35. विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध मृदा सर्वेक्षण।" ;

(viii) "घ. सहकारिता विभाग" उप-शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"**ङ. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग**

भाग 1

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत हैं :—

1. विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि गवेषणा और शिक्षा संस्थाओं और संगठनों से सम्बन्ध, जिसके अन्तर्गत कृषि गवेषणा और शिक्षा से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में किए गए विनिश्चयों की अभिपूर्ति करना है।

2. मौलिक, अनुप्रयुक्त और संक्रियात्मक गवेषणा और उच्चतर शिक्षा जिसके अन्तर्गत ऐसी गवेषणा का समन्वय तथा कृषि, पशुपालन, डेरी-उद्योग और मीन उद्योग में उच्चतर शिक्षा जिसके अन्तर्गत कृषि सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और विपणन है।

3. उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं में वहां तक समन्वय लाना और मानों का निर्धारण जहां तक वह खाद्य और कृषि से, जिसके अन्तर्गत पशुपालन, डेरी-उद्योग और मीन उद्योग है, संबंधित है।

4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, और चाय, काफी और रबड़ संबंधी कार्यक्रमों से भिन्न वस्तु-अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपकर।

5. गन्ना अनुसंधान।

भाग 2

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत हैं (केवल विधान की बाबत) :–

भाग 3

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग 1 में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्यक्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 के अन्तर्गत हैं :—

6. कृषि शिक्षा और गवेषणा।

भाग 4

साधारण और पारिणामिक :—

7. जहां तक कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयों का संबंध है वहां तक विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध सब मामले, जिनके अन्तर्गत वे सभी मामले हैं जो कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में भारत द्वारा विदेशों को दी गई सहायता से सम्बद्ध हैं।

8. पादप प्रवर्तन और समन्वेषण।

9. गवेषणा, प्रशिक्षण, सह-संबंध, वर्गीकरण, मुदा मानचित्रण और निर्वाचन से सम्बद्ध अखिल भारतीय मुदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण।

10. राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि गवेषणा और शिक्षा स्कीमों तथा कार्यक्रमों की बाबत वित्तीय सहायता।

11. राष्ट्रीय निदर्शन।

12. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और उसके संघटक अनुसंधान संस्थान, स्टेशन, प्रयोगशाला और केन्द्र।

13. इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ।

14. इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और सांख्यिकी ।

15. इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें, उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं ।"

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/73-सी०एफ०]
जगजीत सिंह मौंगिया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973